Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग-3)

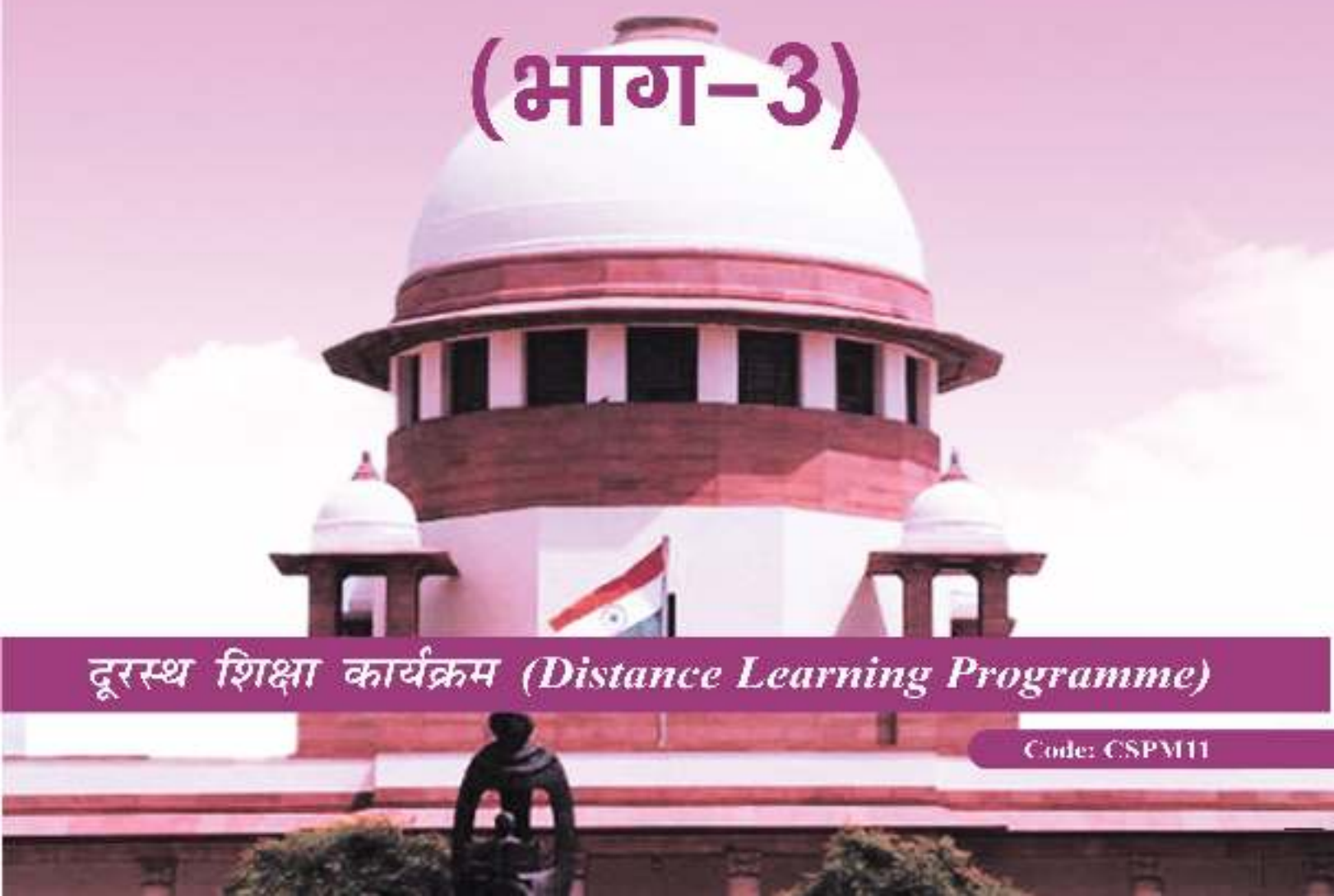

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM11

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग–3)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

13.	राज्य कार्यपालिका	5–21
14.	राज्य का विधानमंडल	22–39
15.	केंद्र-राज्य संबंध	40–87
16.	संघ राज्यक्षेत्र	88–98
17.	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	99–105
18.	पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ	106–141
19.	आपातकालीन उपबंध	142–156

अध्याय
13

राज्य कार्यपालिका (State Executive)

13.1 राज्यपाल	13.3 राज्य की मंत्रिपरिषद
13.2 मुख्यमंत्री	13.4 राज्य का महाधिवक्ता

13.1 राज्यपाल *(The Governor)*

'राज्यपाल' का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पद है। वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।

मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा (अनुच्छेद 153)। बाद में, संविधान के '7वें संशोधन, 1956' के माध्यम से इसमें परंतुक (Proviso) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति *(Appointment of the Governor)*

संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो? संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है। इसके विपरीत, कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। संविधान सभा के सामने सवाल था कि भारत की परिस्थितियों के लिये इनमें से कौन–सा रास्ता उचित होगा?

लंबे विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ही उचित होगा। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के निम्नलिखित आधार थे:

- भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा समझ गई थी कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिये एक मज़बूत केंद्र का होना ज़रूरी है। इसके लिये केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर था।
- अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने की बजाय स्वयं ही शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता।
- अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ा होता। इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती और यह राज्य के स्वस्थ शासन के लिये अच्छा न होता।
- चूँकि राज्यपाल को सिर्फ 'औपचारिक प्रमुख' की भूमिका निभानी थी, इसलिये उसके चुनाव पर बहुत सारा धन खर्च करने तथा अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करने की उपयोगिता नहीं थी।

राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएँ (Qualifications for appointment as Governor)

कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिये तभी पात्र होगा, अगर वह:

- भारत का नागरिक है,
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

वस्तुतः राज्यपाल बनने के लिये यही दो अर्हताएँ हैं; पर इनके अलावा कुछ शर्तें हैं जो इस पद पर नियुक्ति की नहीं बल्कि बने रहने की अर्हताएँ हैं। ये हैं:

- उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिये।
- राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा।

शक्तियाँ *(Powers)*

संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति, जिसका वह सदस्य है, की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। हालाँकि उसे विधानमंडल के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। उसे अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों के प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार (privileges) एवं उन्मुक्तियाँ (immunities) भी प्राप्त होते हैं [अनुच्छेद-194(4)]।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

UPSC (Pre) 2018

1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2016

1. किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

UPSC (Pre) 2015

1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद् आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद् के सभापति को नाम निर्देशित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं?

UPSC (Pre) 2014

1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिये रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना
3. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

5. राज्यपाल के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।
   (b) वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद-त्याग कर सकता है।
   (c) वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
   (d) अनुच्छेद 154 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है।
6. राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से कौन-सी शक्तियाँ राज्यपाल के संदर्भ में सत्य है/हैं?
   1. राष्ट्रपति राज्यपाल के पाँच वर्षों की पदावधि के दौरान उसे किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
   2. राज्यपाल के 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी उसकी पुनर्नियुक्ति कर सकता है।

3. 5 वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले ही उसे बिना कारण बताए और बिना सुनवाई का मौका दिये पद से हटा सकता है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. निम्नलिखित में से किन राज्यों के संदर्भ में राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति कर सकेंगे?

(a) छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड तथा उत्तराखंड

(b) ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश

(c) नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम तथा मिज़ोरम

(d) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम

8. यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निरर्हता (Disqualification) से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है?

(a) विधान सभा का अध्यक्ष

(b) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

(c) मुख्यमंत्री

(d) निर्वाचन आयोग

9. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन राज्यपाल के संदर्भ में सत्य है/हैं?

1. यदि विधानमंडल किसी साधारण विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुन: पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है।
2. यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर लेता है तो उस विधेयक के संबंध में उसकी भूमिका वहीं समाप्त हो जाती है।
3. राज्यपाल पर बाध्यता है कि अगर उसके राज्य में किसी विधेयक के अधिनियम बन जाने से उच्च न्यायालय की शक्तियाँ कम हो सकती हैं तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर लेगा।

कूट:

(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

10. धन विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। निम्नलिखित में से कौन-से विकल्प इस संदर्भ में सत्य हैं?

1. वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है जिससे वह अधिनियम बन जाता है।
2. वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है जिससे विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता।
3. वह विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है।
4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।

कूट:

(a) केवल 1 और 4

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1, 2 और 3

(d) केवल 1, 2 और 4

11. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) सैन्य अदालत या 'कोर्ट मार्शल' द्वारा दिये गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं।

(b) मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं।

(c) राज्यपाल मृत्युदंड को प्रविलंबित अथवा लघुकृत करने का अधिकार रखता है।

(d) राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लागू की जा सकती है।

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन (Dissolution) कर सकता है।
2. राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है और यदि चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

13. निम्नलिखित में से किन राज्यों के राज्यपालों को यह विवेकाधीन शक्ति है कि इन राज्यों से होने वाले खनिज उत्खननों में जनजातीय ज़िला परिषद को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि निर्धारित करें?
    (a) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय।
    (b) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम।
    (c) सिक्किम, मणिपुर, असम और मिज़ोरम।
    (d) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
14. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
    (a) यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं रहा है तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करें।
    (b) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से अधिवेशन बुलाने के लिये कहने पर यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
    (c) अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो किंतु फिर भी वह त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
    (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
15. मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिये:
    1. यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है तो राज्यपाल के लिये उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है।
    2. यदि चुनाव परिणामों से खंडित जनादेश प्राप्त हुआ है और किसी भी दल के पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है तो राज्यपाल को अपने विवेक से तय करना होता है कि वह सबसे बड़े दल के नेता को बुलाए या किसी गठबंधन के नेता को।
    3. मुख्यमंत्री पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो।

    कूट:
    (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
16. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
    1. अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो किंतु फिर भी वह त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
    2. यदि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य होगा कि उसे ऐसी जानकारी दे।

    कूट:
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
17. मुख्यमंत्री की भूमिकाओं के संदर्भ में सत्य कथन हैं:
    1. अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किये गए आपात की स्थिति में मुख्यमंत्री केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्य का शासन चलाता है।
    2. मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाता है।
    3. वह राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है।

    कूट:
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. यदि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल नहीं है और वह राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिये भी तैयार नहीं है तो राज्यपाल उसे पद से बर्खास्त कर सकता है।
    2. अगर न्यायालय के किसी निर्णय के कारण मुख्यमंत्री विधायक होने के लिये किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है और इस्तीफा देने को तैयार नहीं है तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य कथन है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
19. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
    1. मुख्यमंत्री को राज्यपाल तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है।

2. मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल है।
3. यदि संसद अनुच्छेद 172 के उपबंधों के तहत विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ सकता है।

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a) राष्ट्रपति को व्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं दी गई हैं जबकि राज्यपाल को दी गई हैं।
(b) किसी मामले में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं; यह तय करना भी राज्यपाल के विवेकाधीन ही रखा गया है।
(c) भारतीय संविधान में मंत्रियों पर विधिक उत्तरदायित्व (Legal Responsibility) नहीं डाला गया है।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

21. सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से विधान परिषद का मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
(a) विधानसभा (b) विधान परिषद
(c) मुख्यमंत्री (d) राज्यपाल

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियमों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है।
2. न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं और यदि दी तो क्या दी?

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

23. किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
(a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 15

24. राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
(a) भारत का महान्यायवादी।
(b) भारत का महाधिवक्ता।
(c) राज्य का महाधिवक्ता।
(d) संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

उत्तरमाला

1. (c)	2. (a)	3. (d)	4. (b)	5. (d)	6. (d)	7. (b)	8. (d)	9. (d)	10. (d)
11. (d)	12. (c)	13. (b)	14. (d)	15. (d)	16. (c)	17. (d)	18. (c)	19. (d)	20. (d)
21. (a)	22. (c)	23. (c)	24. (c)						

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. 'राज्यपाल को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं'। इन शक्तियों की आवश्यकता के संदर्भ में तर्क रखें।
2. राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? स्पष्ट कीजिये।
3. राज्यपाल की वीटो शक्ति को स्पष्ट कीजिये।
4. राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उसके कार्य को स्पष्ट करते हुए यह विश्लेषण कीजिये कि क्या राज्यपाल पद प्रासंगिक है?
5. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की विवेचना कीजिये।
6. अन्य मंत्रियों की तुलना में मुख्यमंत्री की शक्तियों को स्पष्ट कीजिये।
7. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्वों को स्पष्ट कीजिये।
8. मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिये।
9. महाधिवक्ता के कार्य, शक्तियों एवं दायित्वों को स्पष्ट कीजिये।

अध्याय
14

राज्य का विधानमंडल
(The State Legislature)

14.1 विधान परिषद	14.5 विधानमंडल की सदस्यता
14.2 विधानसभा	14.6 विधानमंडल के विशेषाधिकार
14.3 सत्र, सत्रावसान तथा विघटन	14.7 विधि निर्माण की प्रक्रिया
14.4 विधानमंडल के पदाधिकारी	14.8 विधानसभा और विधान परिषद की तुलना

संविधान के भाग-6 का अध्याय-3 राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक शामिल हैं। इस अध्याय का शीर्षक है- 'राज्य का विधानमंडल' (The State Legislature)।

संविधान निर्माताओं ने केंद्र की तरह राज्यों के लिये भी संसदीय प्रणाली को उपयुक्त समझा था। जिन राज्यों में एक ही सदन है, उस सदन को 'विधानसभा' (Legislative Assembly) कहा जाता है। 'विधान परिषद' (Legislative Council) दूसरा सदन है जो कुछ ही राज्यों में है। केंद्रीय विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि 'विधानसभा' की भूमिका प्रायः 'लोकसभा' के समान है जबकि 'विधान परिषद' की 'राज्यसभा' के समान।

अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल (Legislature) होगा। विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा अभिन्न हिस्से होंगे। जिन राज्यों में विधान परिषद है, उनका विधानमंडल इन दोनों के साथ उसे जोड़ने से पूरा होगा।

14.1 विधान परिषद *(The Legislative Council)*

विधान परिषद से संबंधित विशिष्ट प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 तथा 171 में दिये गए हैं।

सृजन तथा उत्सादन *(Creation and Abolition)*

अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन (Creation) या उत्सादन (Abolition) की क्या प्रक्रिया होगी? इसके अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करने के लिये विधि बना सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिये कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

मूल संविधान में कुल 8 राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, बंबई (अब महाराष्ट्र), तमिलनाडु, मैसूर (अब कर्नाटक), पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिये द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी जबकि बाकी राज्यों के लिये एक ही सदन अर्थात् विधानसभा की। आगे चलकर, दो सदनों वाले राज्यों में से कुछ ने महसूस किया कि उनके विधायी कार्यों के लिये एक सदन पर्याप्त है, विधान परिषद की विशेष उपयोगिता नहीं है। ऐसे राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद के उत्सादन (Abolition) के लिये संकल्प पारित करके संसद को सौंप दिया तथा संसद ने विधि द्वारा उन राज्यों से विधान परिषदों को हटा दिया। इस उपबंध के तहत संसद ने पंजाब (1969), पश्चिम बंगाल (1969), आंध्र प्रदेश (1985) तथा तमिलनाडु (1986) की विधान परिषदों के उत्सादन के लिये अधिनियम पारित किये हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पुनः विधान परिषद के गठन का संकल्प पारित किया जिसके प्रत्युत्तर में 2005 में संसद ने 'आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005' पारित किया है। 1985 में उत्सादित किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश की विधान परिषद 2007 में पुनः गठित की गई है।

अध्याय
15

केंद्र-राज्य संबंध
(Centre – State Relations)

15.1 केंद्र-राज्य संबंध: परिचय
15.2 केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध
15.3 केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध
15.4 केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध
15.5 वस्तु और सेवा कर
15.6 वित्त आयोग
15.7 नीति आयोग
15.8 आपातकाल में वित्तीय संबंध
15.9 भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रवृत्तियाँ
15.10 अंतर-राज्य संबंध

15.1 केंद्र-राज्य संबंध: परिचय *(Centre-State Relations: Introduction)*

जिन देशों का संविधान संघात्मक (Federal) या परिसंघात्मक (Confederal) होता है, उनके सामने यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण होता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों तथा दायित्वों का बँटवारा कैसे हो? यह समस्या इंग्लैंड जैसे एकात्मक (Unitary) देशों के सामने नहीं उठती क्योंकि वहाँ संघ की शक्ति में हिस्सा मांगने वाले राज्यों का अस्तित्व नहीं है; पर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत जैसे देशों के संविधानों को इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होता है।

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ और दायित्व कैसे बँटेंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे- ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक संपर्क, संचार व परिवहन की सुविधाएँ, जनता की इच्छा, विभिन्न राज्यों का चरित्र इत्यादि। यही कारण है कि विभिन्न संघात्मक देशों में शक्तियों व दायित्वों के वितरण की मात्रा तथा प्रकृति में अंतर है। एक ओर भारत व कनाडा जैसे देश शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं तो दूसरी ओर स्विट्ज़रलैंड सशक्त राज्यों की तरफ। अमेरिका की स्थिति इतिहास के साथ बदलती रही है और वर्तमान में वह केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की स्थिति में है।

देखा जाए तो केंद्र और राज्यों में कुल 4 प्रकार की शक्तियों (व दायित्वों) का बँटवारा हो सकता है- विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय। अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बँटवारा केंद्र और राज्यों में किया गया है, किंतु भारत में तीन ही शक्तियों (न्यायिक के अलावा) का वितरण होता है। इसका कारण यह है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है अर्थात् केंद्र और राज्य के न्यायालय अलग-अलग न होकर एक ही सोपानक्रम में स्थित हैं। शेष तीनों शक्तियों व दायित्वों का विभाजन भारतीय संविधान में भी किया गया है।

शक्तियों का विभाजन करने का सामान्य तरीका यह है कि केंद्र और राज्य जिन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंगे, उनकी सूचियाँ बना ली जाएँ। इन सूचियों को ही केंद्र/संघ सूची (Union List) तथा राज्य सूची (State List) कहा जाता है। जो विषय दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते, उन्हें अवशिष्ट विषय (Residuary topics) कहा जाता है। संविधान में बताया जाता है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने या प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास होगी या राज्यों के पास? कुछ देशों में एक तीसरी सूची भी होती है जिसे समवर्ती सूची (Concurrent List) कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने व प्रशासन करने की शक्ति होती है। संविधान में बताया जाता है कि दोनों के कानूनों में विरोध होने पर किसके कानून को वैध माना जाएगा?

संविधान निर्माण के समय भारत की स्थिति भी अत्यंत जटिल थी। लगभग 600 रियासतों को जोड़कर भारत बना था और धर्म, जाति, भाषा, जनजाति और नस्ल जैसे मुद्दों पर विघटन व अलगाव के बड़े खतरे मौजूद थे। संविधान सभा शुरू में तो राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने के पक्ष में थी, किंतु पाकिस्तान के निर्माण तथा उस प्रक्रिया में उभरने वाली सांप्रदायिकता को देखकर उसकी राय बदल गई। इसी समय, भाषा के मुद्दे पर जिस तरह देश में विघटन का माहौल बना, उसने भी संविधान सभा को मज़बूत केंद्र की स्थापना के लिये प्रेरित किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने तीन सूचियाँ बनाईं- केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गईं। इसके अलावा, यह प्रावधान

अध्याय
16

संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories)

16.1 संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय
16.2 संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था
16.3 दिल्ली के लिये विशेष प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा गया है- राज्य (States), संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) तथा अर्जित राज्यक्षेत्र (Aquired Territories)। वर्तमान में भारत में 29 राज्य हैं और 7 संघ राज्यक्षेत्र, जबकि अर्जित राज्यक्षेत्रों की सूची में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है।

नोट: 9 अगस्त 2019 के जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अब भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्रशासित प्रदेश होंगे। अतिरिक्त 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख होंगे।

गौरतलब है कि 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बाँटा गया था- 'भाग-क', 'भाग-ख', 'भाग-ग' तथा 'भाग-घ' के राज्य। इन चारों से संबंधित प्रावधान क्रमशः संविधान के भाग 6, 7, 8 और 9 में दिये गए थे। 'भाग-क' में वे राज्य थे जो 'भारत शासन अधिनियम, 1935' के अंतर्गत 'प्रांत' (Province) के रूप में परिभाषित किये गए थे और जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। 'भाग-ख' में हैदराबाद, सौराष्ट्र और मैसूर जैसी बड़ी रियासतों को रखा गया था। 'भाग-ग' में कुछ छोटी रियासतें थीं (जैसे- त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, अजमेर इत्यादि) और साथ ही कुछ ऐसे छोटे क्षेत्र भी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) द्वारा प्रशासित होते थे (जैसे दिल्ली)। 'भाग-घ' में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण शामिल किया गया था। इसके अलावा, अर्जित क्षेत्रों (यदि कोई हों) को भी 'भाग-घ' में ही रखे जाने की योजना थी।

आगे चलकर, 'भाग-ग' राज्यों को संघ राज्यक्षेत्रों का नाम दिया गया, हालाँकि इस प्रक्रिया में कुछ और भी बदलाव हुए जिनकी चर्चा आगे की गई है।

16.1 संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय *(Introduction of Union Territories)*

संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में कुछ प्रमुख जानकारियाँ निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर उनकी विकास-यात्रा तथा अन्य पक्षों को समझा जा सकता है-

- **संघ राज्यक्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास (Evolution of Union Territories):** संघ राज्यक्षेत्र की धारणा 1956 में विकसित हुई। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राय दी थी कि राज्यों का चार वर्गों में विभाजन अनावश्यक है। उसकी सलाह थी कि भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को सिर्फ दो वर्गों 'राज्य' तथा 'संघ राज्यक्षेत्र' में बाँटा जाना चाहिये। इस सिफारिश पर अमल करते हुए संसद ने '7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956' तथा उसके अनुसरण में पारित किये गए 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को इन्हीं 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। शुरू में बहुत सारे क्षेत्रों को संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) के तौर पर शामिल किया गया था। आमतौर पर ये वही क्षेत्र थे जो पहले 'भाग-ग' व 'भाग-घ' के राज्यों में शामिल थे। उदाहरण के लिये- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह इस सूची में शामिल थे। आगे चलकर, इनमें से कुछ राज्यक्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्यक्षेत्रों (जैसे- पुदुच्चेरी, गोवा-दमन-दीव, दादरा और नागर हवेली) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों (जैसे- चंडीगढ़) को संघ राज्यक्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 7 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल हैं- दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुच्चेरी, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।
- **संघ राज्यक्षेत्रों तथा राज्यों में अंतर (Difference between Union Territories and States):** संघ राज्यक्षेत्र और राज्य में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ राज्य केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में हिस्सेदार के तौर पर शामिल होते हैं, वहीं

अध्याय
17

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (Scheduled and Tribal Areas)

17.1 पाँचवीं अनुसूची
17.2 छठी अनुसूची

हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है। सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं है। कुछ ने शेष समाज के साथ सक्रिय संवाद करते हुए खुद को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है जबकि कुछ समुदाय अभी भी अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं और शेष समाज के साथ नज़दीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते। स्वाभाविक है कि हम इन परंपरागत समाजों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे रातोंरात हमारे कानूनों तथा नियमों का पालन करने की इच्छा दिखाएँ। इसलिये, संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदायों को शेष समाज से कितना और कैसे जोड़ा जाए; और जब तक ऐसा न हो, तब तक उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता तथा मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए?

संविधान का भाग-10, जिसमें अनुच्छेद-244 ही एकमात्र अनुच्छेद है, जो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये रखा गया है। इसके उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या संविधान की दो अनुसूचियों- अनुसूची 5 तथा 6 में की गई है जिनमें जनजाति-बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) तथा जनजातीय क्षेत्रों (Trible Areas) के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, '22वें संशोधन, 1969' के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद-244(क) भी जोड़ा गया था जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह, विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य (Autonomous State) की स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद-244 के दो खंड हैं जो क्रमशः पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियों से संबंधित हैं। अनुच्छेद-244(1) में कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) तथा अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये लागू होंगे। इसके विपरीत, अनुच्छेद-244(2) के प्रावधान सिर्फ चार राज्यों पर लागू होते हैं जिन्हें पिछले खंड में अलग रखा गया है। इसमें कहा गया है कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) के प्रशासन के लिये लागू होंगे।

अनुच्छेद-244 के दोनों खंडों की भाषा पर ध्यान दें तो पाएंगे कि पाँचवीं अनुसूची के संबंध में 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Area) शब्दावली का प्रयोग किया गया है जबकि छठी अनुसूची के संबंध में 'जनजातीय क्षेत्र' (Tribal Area) शब्दावली का। स्पष्ट है कि ये दोनों संकल्पनाएँ भिन्न हैं। हम दोनों अनुसूचियों के प्रमुख प्रावधानों को पढ़कर इस अंतर को समझ सकते हैं।

17.1 पाँचवीं अनुसूची *(5th Schedule)*

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाँचवीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद-244(1) से है और इसके प्रावधान भारत के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम) के अलावा शेष सभी राज्यों पर लागू होते हैं। इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- **अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण (Determination of Scheduled Areas):** राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वह ऊपर बताए गए 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।
- **केंद्र व राज्यों की शक्तियाँ (Powers of the Centre and States):** अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बँटवारा इस प्रकार किया गया है कि साधारणतः राज्य ही इन क्षेत्रों का प्रशासन संभालें; किंतु केंद्र इस प्रशासनिक व्यवस्था की लगातार जाँच कर सके और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिये बाध्य कर सके। दोनों की शक्तियों से जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

अध्याय
18

पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ
(Panchayati Raj and Municipalities)

18.1 पंचायती राज 18.2 नगरपालिकाएँ

18.1 पंचायती राज *(Panchayati Raj)*

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा व्यापक स्तर के मुद्दों के लिये उसे अपने प्रतिनिधि चुनने तथा उनसे संवाद व सवाल-जवाब करने का हक हो जो उसकी ओर से कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। सामान्य राय यह बनती जा रही है कि स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर निर्णय की शक्ति उसी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिये और ऊपर के स्तरों पर वही काम किये जाने चाहियें जो नीचे के स्तरों पर न किये जा सकते हों। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' (Local Self Government) की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

ध्यातव्य है कि जो देश संघात्मक (Federal) राजव्यवस्था को अपनाते हैं, उनके संविधान में सत्ता के दो स्तर होते हैं- संघ तथा राज्य। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही व्यवस्था कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा" जिसमें निहित है कि शक्ति का वितरण संघ व राज्यों के बीच किया जाएगा। संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यत: राज्यों के हाथ में होती है और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत में भी संविधान लागू होने के समय (1950) से 1993 तक यही व्यवस्था थी किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास *(Evolution of Panchayati Raj)*

प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी परंपरा रही है, पर ब्रिटिशों के आगमन के बाद स्थिति बदलने लगी। परंपरागत पंचायतें अंग्रेज़ों के लिये अनुपयोगी थीं। 1773 के 'रेगुलेटिंग एक्ट' के तहत गाँवों के लिये जो ज़मींदार नियुक्त किये गए थे, वे पंचायतों से स्वतंत्र थे और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। आगे चलकर, सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के गठन के साथ पंचायतों की भूमिका और कमज़ोर हो गई।

1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बिना इतने बड़े देश का शासन चलाना उसके लिये संभव नहीं है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा ज़िला स्तर पर ज़िला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था।

अध्याय
19

आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)

19.1 परिचय
19.2 राष्ट्रीय आपात
19.3 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन
19.4 राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन में तुलना
19.5 वित्तीय आपात

19.1 परिचय *(Introduction)*

भारतीय संविधान साधारण स्थितियों में संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है, पर संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो संघात्मक ढाँचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। संविधान का भाग XVIII इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। इस भाग का नाम है–'आपात उपबंध' (Emergency Provisions)। इसमें संविधान के अनुच्छेद 352-360 शामिल हैं।

आपात के प्रकार *(Types of Emergency)*

संविधान में तीन तरह की आपात स्थितियाँ बताई गई हैं–

- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात जो 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण घोषित किया जाता है। इस आपात को 'राष्ट्रीय आपात' (National Emergency) कहे जाने का प्रचलन है। हालाँकि, संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 का शीर्षक 'आपात की उद्घोषणा' (Proclamation of Emergency) है।
- अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) के विफल हो जाने की दशा में घोषित किया जाने वाला आपात। प्रचलित भाषा में इसे 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) के नाम से जाना जाता है। कहीं-कहीं इसे 'राज्य आपात' (State Emergency) भी कह दिया जाता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 356 में 'आपात' या 'आपातकाल' जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 360 के तहत घोषित होने वाला 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency)। इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व (Financial Stability) या साख (Credit) के संकट में पहुँचने से है। इसे संविधान में 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency) ही कहा गया है।

19.2 राष्ट्रीय आपात *(National Emergency)*

अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने वाले आपात को 'राष्ट्रीय आपात' कहे जाने का प्रचलन है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित विभिन्न उपबंध कुछ शीर्षकों के अंतर्गत समझे जा सकते हैं–

आपात की उद्घोषणा के आधार *(Basis of the proclamation of Emergency)*

वर्तमान में अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि 'युद्ध' (War), 'बाह्य आक्रमण' (External Aggression) या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ 'मंत्रिपरिषद' की संतुष्टि से है क्योंकि आपात की उद्घोषणा करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596